बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
बिहार सरकार का एक उपक्रम
वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in
BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
A Government of Bihar Undertaking
Website: www.bsbccl.bih.nic.in
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांकः–बी0एस0बी0सी0सी0एल0– प्र0/वि0/एम-2-3/09 – 600 दिनांक–06/03/17

अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, को वित्तीय वर्ष 2016–17 के वित्तीय/लेखा संबंधी कार्यों के लिए 2 से 3 माह के लिए 4 (चार) दक्ष लेखापालों की शीघ्र जरूरत है।

उक्त के आलोक में पटना स्थित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के वित्तीय/लेखा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु दक्ष लेखापालों को उपलब्ध कराने हेतु प्रति व्यक्ति (लेखापाल) मासिक दर को बंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित की जाती है। उक्त कोटेशन दिनांक 10.03.2017 को अपराहन 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। सभी ससमय प्राप्त कोटेशनों को दिनांक 10.03.2017 को 3.30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। कोटेशनदाताओं/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में उक्त कोटेशन को निगम के सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष खोला जायेगा।

Sl. No.	CA Firm की विवरणी	कर्मियों की योग्यता	संख्या
1	बिहार सरकार के निर्माण कार्यो से संबंधित निगमों/कंपनियों में वित्त/लेखा संबंधी कार्यों का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म।	(क) बी0कॉम0 के साथ कम से कम तीन वर्षो का बिहार सरकार के निगमों/कंपनियों में वित्त/लेखा संबंधी कार्यों का अनुभव। (ख) MS Words, Excel एवं Tally का नवीनतम संस्करण में कार्य करने की पूर्ण दक्षता।	4 अदद्

विशेष शर्तें:–

1. जरूरत के अनुसार लेखापालों की संख्या तथा कार्य करने की अवधि घटाई–बढ़ाई जा सकती है।
2. कोटेड दर सभी कर सहित होगा।
3. निगम मुख्यालय (शास्त्री, नगर पटना) तथा पटना से बाहर निगम के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने पर दर/फीस में वृद्धि नहीं की जाएगी। पटना से बाहर भेजे जाने की स्थिति में आने–जाने का किराया तथा स्थानीय भत्ता निगम के समतुल्य कर्मियों के लिए अनुमान्य भत्ते के अनुसार देय होगा।
4. चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए लेखापालों/लेखाकर्मियों के विरूद्ध उनकी उपस्थिति के अनुसार माहवार समर्पित विपत्र के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
5. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का निबंधन The Institute of Chartered Accountants of India के अर्न्तगत होना अनिवार्य है। साथ ही फर्म को Service Tax में निबंधन भी अनिवार्य है। इस संदर्भ में संबंधित दस्तावेज संलग्न करना होगा। PAN की कॉपी भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. कोटेशनदाता फर्मों का कार्यालय पटना शहर में रहना अनिवार्य है। इसके लिए उचित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
7. अधोहस्ताक्षरी या विभागीय सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताये किसी कोटेशन को रद्द करने/एक से अधिक कोटेशनदाताओं के बीच कार्य विभाजित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
8. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म संबंध में विशेष जानकारी निगम मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
9. कोटेशनदाता का नाम किसी भी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई है तथा डिबार भी नहीं किया गया है, से संबंधित शपथ पत्र (इस सूचना निर्गत होने के बाद की तिथि का शपथ पत्र मुल रुप में) देना अनिवार्य होगा।
10. चयनित फर्मों द्वारा दक्ष लेखापालों की पूर्ण बायोडाटा एक रंगीन फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। तदोपरान्त निगम के सक्षम पदाधिकारी द्वारा दक्षता जाँच (लिखित/मौखिक) के उपरान्त ही कार्य पर लगाया जाएगा।
11. चयनित फर्मो द्वारा निगम के कार्यो के लिए लेखापालों की व्यवस्था अविलंब करनी होगी।

04.03.17

मुख्य महाप्रबंधक
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना।